भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या:3418

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा पेशेवरों पर हमलों के मामले

†3418. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः

श्री नरेश गणपत म्हस्केः

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

श्रीमती शांभवीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान पंजीकृत चिकित्सा पेशेवरों के विरुद्ध हिंसा, धमकी या दुर्व्यवहार के कितने मामले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार दर्ज किए गए हैं;

(ख) डॉक्टरों पर जनसामान्य के विश्वास और रोगियों की अपेक्षाओं के चिकित्सीय निर्णयों पर प्रभाव के संबंध में सरकार द्वारा कराए गए किसी मूल्यांकन या अध्ययन का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश भर के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों में कार्य-संबंधी तनाव, थकान और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में डॉक्टरों की पेशेवर संतुष्टि और उन्हें सेवा में बनाए रखने की निगरानी के लिए मौजूदा तंत्रों का सहायक आंकड़ों सहित ब्यौरा क्या है; और

(ङ) डॉक्टर-रोगी संबंधों को सुदृढ़ करने और चिकित्सा पेशे में संस्थागत विश्वास बहाल करने के उद्देश्य से दीर्घकालिक ढांचा विकसित करने हेतु विचाराधीन सरकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय होने के कारण, पंजीकृत चिकित्सकों के विरुद्ध हिंसा, धमकी या दुर्व्यवहार के मामलों पर ध्यान देना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है। इस संबंध में आँकड़े और विवरण केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

भारत सरकार मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) लागू करती है, जिसमें बहिरंग रोगी सेवाएँ, मूल्यांकन, परामर्श/मनो-सामाजिक अत:क्षेप और निरंतर देखभाल के प्रावधान शामिल हैं। भारत सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए सहायता में सुधार करने हेतु राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और टेली मानस मोबाइल एप्लिकेशन भी शुरू किया है। इसके अलावा, एनएमसी ने एमबीबीएस के प्रारंभिक पाठ्यक्रम में योग को शामिल किया है और सभी छात्रों के लिए 10 दिनों का योग मॉड्यूल अनिवार्य कर दिया है, जिसमें संकाय सदस्य भी भाग ले सकते हैं।

इसके अलावा, ग्रामीण आबादी को साम्यपूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराने के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में परिवार गोद लेना कार्यक्रम (एफएपी) को शामिल किया गया है। एफएपी के तहत मेडिकल कॉलेज गाँवों को गोद लेते हैं और एमबीबीएस छात्र इन गाँवों के परिवारों को गोद लेते हैं ताकि छात्रों में ग्रामीण आबादी के प्रति सहानुभूति पैदा हो सके। एनएचएम के तहत दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अधिमान्य प्रवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी शुरू किए गए हैं। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा देने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता भी प्रदान किया जाता है।

*****